यह निरीक्षण प्रतिवेदन **उपायुक्त (कर निर्धारण), वाणिज्य कर, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

उपायुक्त (कर निर्धारण), वाणिज्य कर, अल्मोड़ा के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.05.2018 से 05.06.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रमेश कुमार केशरी, एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री रवि भूषण, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03.11.2017 से 14.11.2017 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 09/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह -------- से ------- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह ------ से ------ तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः राजस्व संग्रह, अल्मोडा, बागेश्वर जिले के दवा का निर्माण बिक्री, सोप स्टोन, खनन का कार्य।**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	1122.44
2016-17	3016.44
2017-18	12086.07

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)	व्यय राशि (₹)	अवशेष/समर्पण (₹)
2015-16			
2016-17	शून्य		
2017-18			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **उपायुक्त (कर निर्धारण), वाणिज्य कर, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

माह: 03/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो अ

प्रस्तर- 01 संविदाकार को अधिक वापसी किए जाने एवं कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ` 2.01 करोड़।

शासन के पत्र सं0 330/2012/14(120)/XXVII(8)/06 दिनांक 17.04.2012 के द्वारा 01.04.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिये समाधान योजना लागू की गयी थी। जिसे वापस लेते हुए उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या-380/2013/02(120)/ XXVII(8)/ 2013 दिनांक 28.03.2013 के द्वारा अविभाजित सिविल एवं अविभाजित विद्युत संविदाकारों मे दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए समाधान योजना लागू किया गया। जिसमे निम्न परिवर्ती शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन अविभाजित सिविल सकर्म संविदा एवं अविभाजित विद्युत सकर्म संविदा को निष्पादित करने वाले पंजीकृत सिविल संविदाकारो एवं पंजीकृत विद्युत संविदाकारो हेतु देय कर के बदले समाधान राशि निश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

सिविल संविदा की शर्त के अनुसार सिविल सविदा के संबंध मे समाधान राशि की गणना निम्न शर्तो के अनुसार की जाएगी-बिन्दु 03 के अनुसार सिविल संकर्म संविदाओ के संबंध मे समाधान राशि का आकलन, सविदाकार द्वारा सम्पन्न सविदा की सकल धनराशि मे से सविदी द्वारा आपूर्ति किए गए ऐसे माल की धनराशि के घटाने के पश्चात प्राप्त धनराशि पर की जाएगी जिसका उल्लेख सविदा मे हो किन्तु यह कटौती अधिक से अधिक 20 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी। जिन सिविल संविदा मे मिट्टी का कार्य (अर्थवर्क) संविदा की कुल धनराशि के 33 प्रतिशत से अधिक होगा उनमे सविदाकार को प्राप्त होने वाली राशि मे से अर्थवर्क के संबंध मे संविदा की 33 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने वाली राशि घटा दिया जाएगा तथा अवशेष राशि पर समाधान राशि की गणना की जाएगी।

बिन्दु 3 (क) के अनुसार ऐसे मामले जिनमे सिविल संविदाकार केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है अथवा उनके द्वारा समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने तक अथवा उससे पूर्व अपना केंद्रीय बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु surrender कर दिया गया हो, और उनके द्वारा योजना की अवधि मे कोई आयात न किया गया हो, के लिए समाधान राशि की गणना उपरोक्त के अनुसार आगणित धनराशि का 2 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

बिन्दु 3 (ग) के अनुसार जिन मामलो मे सिविल संविदाकार उपरोक्त बिन्दु (क) मे वर्गीकृत संविदाकार से भिन्न वर्ग का हो एवं उसके द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, समाधान राशि की गणना उक्तानुसार आगणित राशि के 6 प्रतिशत की दर से की जाएगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूप पत्रो की प्रस्तुति ऐसी रीति व समय के अंदर किया जाएगा जैसा की नियम 11 मे निर्धारित है।

विद्युत संविदाकार के लिए भी बिन्दु (घ) मे बिन्दु (ग) के समान ही समाधान राशि का भुगतान किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

बिन्दु (6) के अनुसार संविदाकार को अनुबंध वार आयातित माल के प्रयोग से संबन्धित विवरण, वर्ष के अंत मे प्रस्तुत किए जाने वाली विवरणी के साथ, प्रस्तुत करना होगा। यदि संविदा कार जांच के दौरान आयातित माल का प्रयोग अनुबंध के निस्तारण मे किया जाना प्रमाणित नहीं कर पाता तो ऐसे आयातित माल की खरीद पर भाड़ा एवं अन्य खर्चे को जोड़ते हुये आधी धनराशि पर 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये ऐसे माल की बिक्री निर्धारित की जाएगी तथा उस पर नियमानुसार कर आरोपित किया जाएगा। साथ-साथ अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जाएगी।

बिन्दु (7) के अनुसार संविदा के निष्पादन मे अंतरित होने वाले माल के अतिरिक्त किसी माल की बिक्री पर नियमानुसार कर देय होगा।

बिन्दु (8) के अनुसार समाधान योजना को अपनाने वाले संविदाकार या उप संविदाकार को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देय नहीं होगा।

बिन्दु (13) के अनुसार धारा 7 की उपधारा (2) मे समाधान योजना हेतु विकल्प एक बार देने के पश्चात संबन्धित संविदाकार उसे वापस नहीं ले सकेगा।

साथ ही साथ शासन के पत्र 675/2015/14(120)/XXVII(8)/06 दिनांक 10.08.2015 के निर्देश 3 (ख) के अनुसार जिन मामलो मे सिविल संविदाकार उपरोक्त बिन्दु (क) मे वर्गीकृत संविदाकार से भिन्न वर्ग का हो एवं उसके द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से कम आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, समाधान राशि की गणना उक्तानुसार आगणित राशि के 4 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

कार्यालय उप आयुक्त (क0 नि0)- राज्य कर अल्मोड़ा के अभिलेखो की नमूना जांच मे निम्नलिखत कमियाँ पायी पाया गया कि-

1. संविदाकार सर्वश्री कश्मीरी लाल कंस्ट्रक्सन, प्रा0 लि0 रानीखेत अल्मोड़ा टिन नं0 05000128162 समाधान वर्ष 2013-14 मे पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संगत वर्ष मे संविदाकार को संविदी विभाग से ` 20,40,24,950 का कुल भुगतान प्राप्त हुआ था। जिस पर कुल समाधान राशि ` 22,11,237 निर्धारित किया गया था। संविदी विभाग द्वारा TDS ` 49,61,652 का काटा गया है एवं ` 27,50,415 का वापसी की गयी थी। जबकि वर्ष 2013-14 मे संविदाकार को संविदी विभाग से फॉर्म -08 के अनुसार `11,04,74,595 का भुगतान प्राप्त हुआ था एवं जिस पर संविदी विभाग द्वारा TDS `49,61,652 का काटा गया था। संविदाकार द्वारा संगत वर्ष प्रांत के बाहर ` 5,99,59,748 की आयातित खरीद गयी थी, जो कि कुल संविदा मे प्राप्त धनराशि का 54 प्रतिशत था। ` 1,88,37,475 की प्रांतीय खरीद भी की गयी थी। उपरोक्त प्रावधान के बिन्दु (ग) एवं (घ) के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक माल का आयात करने पर संविदा मे प्राप्त धनराशि का 6 प्रतिशत समाधान राशि देय थी।

शासन के पत्र संख्या 3909/XXVII(8)/14(120)/2006 दिनांक 25/02/2009 (वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक की समाधान योजना) के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक के माल के आयात की स्थिति मे कुल प्राप्त धनराशि पर 3 प्रतिशत की दर से समाधान राशि भुगतान किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त के अनुसार वर्ष 2013-14 मे संविदाकार को प्राप्त भुगतान के अनुसार देय समाधान राशि निम्नानुसार होना चाहिए था।

क्र0 सं0	**अनुबंध का वर्ष**	**कुल भुगतान**	**कार्य का विवरण**	**कर की दर**	**कर की धनराशि**
01	सभी वर्षो हेतु	14296519	इरेक्सन जॉब	0 प्रतिशत	0
02	2009-10 से 2011-12 तक	41754501	सिविल एवं विद्युत कार्य	3 प्रतिशत	12,52,635
03	2012-13	3681067	सिविल एवं विद्युत कार्य	6 प्रतिशत	2,20,864
04	2013-14	50742508	सिविल एवं विद्युत कार्य	6 प्रतिशत	30,44,550
योग		110474595			45,18,049

इस प्रकार संगत वर्ष मे कुल ` 45,18,049 की समाधान राशि संविदाकार द्वारा देय थी। संविदी विभाग द्वारा TDS के रूप मे ` 49,61,652 की कटौती की गयी थी। उक्त को समायोजित करने के पश्चात ` 4,43,603 की अधिक कटौती की गयी थी। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा `27,50,415 की अधिक कटौती का लाभ संविदाकार को दिया गया था। अतः ` 23,06,812 की अधिक की वापसी संविदाकार को की गयी थी।

उपरोक्त के संबंध मे यह इंगित किए जाने के साथ ही पूछा गया कि संविदी विभाग द्वारा कुल भुगतान ` 11,04,72,540 के स्थान पर ` 20,40,24,950 का कर निर्धारण किया गया?, संविदाकार द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक की खरीद प्रांत के बाहर से की गयी थी, समाधान राशि की गणना 3 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत की दर से क्यो नहीं की गयी, कर निर्धारण के सारिणी के क्र0 संख्या 04 पर ` 13,84,97,500 सप्लाई कार्य पर 5 प्रतिशत की दर से ` 69,24,875 का कर के स्थान पर `13,84,975 ही अंकित किया गया एवं ` 55,39,900 का अतिरिक्त कर आरोपण के संबंध मे, 2013-14 मे संविदाकार द्वारा क्रय किए गए माल की सूची, संविदाकार द्वारा अनुबंध वार आयातित माल के प्रयोग से संबन्धित विवरण एवं वर्ष 2013-14 का 25(7) के अंतर्गत किए गए कर निर्धारण आदेश की प्रति के संबंध मे स्पष्टीकरण व विवरण मांगा गया।

2- वर्ष 2014-15 के समाधान धारा 7(2) एवं कर निर्धारण 25(7) की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2014-15 मे संविदाकार को संविदी विभाग से फार्म-8 के अनुसार कुल ` 20,65,23,377 का भुगतान प्राप्त हुआ था। कर निर्धारण आदेश मे उक्त धनराशि `19,52,16,381 की प्राप्त किया जाना दर्शाया गया था एवं संविदी विभाग द्वारा TDS ` 1,12,15,498 का काटा गया था। संविदाकार द्वारा संगत वर्ष प्रांत के बाहर से ` 10,64,88,037 की आयातित खरीद गयी थी। जो कि कुल संविदा मे प्राप्त धनराशि का 54 प्रतिशत(106488037 x 206523377/100) था। ` 6,58,71,785 की प्रांतीय खरीद भी की गयी थी। इस प्रकार कुल खरीद `17,23,59,822 की थी। कर निर्धारण आदेश मे समस्त प्रांतीय खरीद को कार्य मे प्रयोग किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ` 6,62,81,728 का लाभ इरेक्सन जाब के लिए दिया गया था। जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। चूंकि संविदाकार द्वारा संगत वर्ष कुल 17,23,59,822 के माल का प्रयोग संविदा कार्य मे किया था। अतः अर्थवर्क के लिए ` 3,41,63,555 का लाभ अधिकतम दिया जा सकता था।

उपरोक्त प्रावधान के बिन्दु (ग) एवं (घ) के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक माल का आयात करने पर संविदा मे प्राप्त धनराशि का 6 प्रतिशत समाधान राशि देय था।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक की समाधान शासनादेश के अनुसार 5 प्रतिशत से अधिक के माल के आयात की स्थिति मे कुल प्राप्त धनराशि पर 3 प्रतिशत की दर से समाधान राशि का भुगतान किया जाना निर्देशित किया गया थी ।

उपरोक्त के अनुसार वर्ष 2014-15 मे संविदाकार को प्राप्त भुगतान के अनुसार समाधान राशि निम्नानुसार देय थी ।

क्रम संख्या	अनुबंध का वर्ष	कुल भुगतान	कार्य का विवरण	कर की दर	कर की धनराशि
01		3,41,63,555	इरेक्सन जॉब	0 प्रतिशत	0
02	2009-10 से 2011-12 तक	1,89,97,899	सिविल एवं विद्युत कार्य	3 प्रतिशत	5,69,937
03	2013-14 एवं 2014-15	12,81,70,004	सिविल एवं विद्युत कार्य	6 प्रतिशत	76,90,200
05		2,40,46,762	सप्लाइ कार्य	5 प्रतिशत	12,02,338
06		11,45,157	सप्लाइ कार्य	13.5 प्रतिशत	1,54,596

योग	20,65,23,377			96,17,071

इस प्रकार संगत वर्ष मे कुल ` 96,17,071 की समाधान राशि संविदाकार द्वारा देय थी। संविदी विभाग द्वारा TDS के रूप मे ` 1,12,15,498 की कटौती की गयी थी जिसको समायोजित करने के पश्चात ` 15,98,427 की अधिक कटौती की गयी थी। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ` 86,35,910 की अधिक कटौती का लाभ संविदाकार को दिया गया था। अतः ` 70,37,483 की अधिक की वापसी संविदाकार को की गयी थी।

उक्त के अतिरिक्त धारा 25(7) मे हुये कर निर्धारण मे 0 प्रतिशत की दर से ` 8,48,43,554 की बिक्री ई-1 के सापेक्ष घोषित की गयी थी। पत्रवाली पर ` 5,60,68,945 के ई-1 उपलब्ध थे। इस प्रकार ` 2,87,74,609 ई-1 पत्रवाली पर उपलब्ध न होने से कम से कम 5 प्रतिशत की दर से कर ` 14,38,730 का कर व्यापारी पर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा बिन्दुवार इंगित किया गया कि कि संविदी विभाग से कुल भुगतान ` 20,65,23,377 के स्थान पर ` 19,52,16,381 का कर निर्धारण क्यो किया गया? संविदाकार द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक की खरीद प्रांत के बाहर से की गयी थी, समाधान राशि की गणना 3 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत की दर से क्यो नहीं कि गयी? संविदाकार द्वारा अनुबंध वार आयातित माल के प्रयोग से संबन्धित विवरण मांगा गया एवं ` 2,87,79,359 ई-1 फार्म के पत्रावली पर संलग्न नहीं पाये गए थे।

3- कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के कर निर्धारण आदेश मे द्वारा संविदाकार के द्वारा दाखिल फार्म -4 के अनुसार संगत वर्ष कुल प्राप्त भुगतान ` 40,83,85,124 घोषित किया गया था। संविदाकार द्वारा संगत वर्ष मे प्रांत बाहर से कुल `15,44,16,920 के माल का आयात किया था। जिसमे `14,94,07,112 के माल का अंतरण संविदा कार्यो मे किया गया था। संविदाकार द्वारा उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियम –14 के अंतर्गत लेबर मद मे 50 प्रतिशत तथा संविदा कार्यो मे अंतरित आयातित खरीद की छूट चाहिए गयी है। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 45 प्रतिशत लेबर मद मे एवं आयातित खरीद की छूट प्रदान करते हुए कर निर्धारण उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25 (7) के अंतर्गत उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियम-14 के अंतर्गत निम्न प्रकार से किया।

1.	संगत वर्ष मे सिविल संविदा कार्य के अंतर्गत प्राप्त कुल भुगतान	40,83,85,124
2.	धारा-7(2) के अंतर्गत पूर्व वर्षो के अनुबन्धो के विरुद्ध प्राप्त भुगतान	(-) 90,48,804
3.	लेबर मद मे छूट	(-) 17,97,01,344
4.	आयातित/प्रांतीय खरीद की छूट	(-) 10,85,30,684
5.	कर निर्धारण हेतु अवशेष धनराशि	11,11,04,292

उपरोक्त के अनुसार कुल कर ` 65,69,645 निर्धारित किया गया एवं संविदी विभागो द्वारा जारी कटौती प्रमाणपत्रों (कुल 22 प्रारूप-8) के अनुसार TDS ` 2,21,46,285 की कटौती की गयी है। जिसका लाभ आरोपित कर के विरुद्ध दिये जाने के उपरांत अधिक जमा धनराशि `1,55,76,640 की धनराशि संविदाकार को वापस की गयी थी।

संगत वर्ष मे संविदाकार द्वारा 22 प्रारूप-8 उपलब्ध कराये गए थे। जिनके अनुसार कुल ` 36,24,56,972 की धनराशि संविदाकार को संविदी विभागो द्वारा प्राप्त हुई है एवं इस पर कुल TDS `2,21,46,286 काटी गयी थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा-7(2) के अंतर्गत पूर्व वर्षो के अनुबन्धो के विरुद्ध प्राप्त भुगतान ` 90,48,804 ही कुल प्राप्त धनराशि से घटाया गया है जबकि प्रारूप-08 के अनुसार वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अनुबन्धो से प्राप्त धनराशि `33,49,59,843 को नहीं घटाया गया जबकि उक्त वर्षो मे संविदाकार द्वारा समाधान योजना का लाभ लिया गया था। उल्लेखनीय है कि संविदाकार द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक का माल प्रांत के बाहर से आयात किया गया था। अतः वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के अनुबंध से प्राप्त धनराशि पर 3 प्रतिशत की दर से समाधान राशि एवं 2012-13 से 2014-15 तक 6 प्रतिशत की दर से समाधान राशि देय होगी जिसके अनुसार कर की गणना निम्नानुसार होगी।

क्रम संख्या	अनुबंध का वर्ष	कुल भुगतान	कार्य का विवरण	कर की दर	कर की धनराशि
01	2009-10 से 2011-12 तक	90,48,804	सिविल एवं विद्युत कार्य	3 प्रतिशत	2,71,464
02	वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक	10,22,32,464	जाब कार्य जिनमे माल का अंतरण नहीं हुआ था।	0 प्रतिशत	0
03	वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक	23,27,27,379	सिविल एवं विद्युत कार्य	6 प्रतिशत	1,39,63,643
04	वर्ष 2015-16 का 45 प्रतिशत लेबर	1,84,48,325	मजदूरी + आयातित माल अंतरण	0 प्रतिशत	0
योग		**36,24,56,972**			**1.42,35,107**

इस प्रकार कुल `1,42,35,107 का कर निर्धारित होता है। संविदी विभागो द्वारा TDS की धनराशि ` 2,21,46,285 मे घटाने के पश्चात संविदाकार को ` 79,11,178 की वापसी की जानी चाहिए जबकि `1,55,76,640 की वापसी की गयी था। अतः अधिक वापसी की धनराशि ` 76,65,462 की वसूली संविदाकार से की जानी थी।

आगे जांच मे पाया कि संविदाकार द्वारा वर्ष 2015-16 के फार्म-04 UK VAT Act Section 25(2)/Rule11(6) मे कुल बिक्री `3,95,98,659 की घोषित की गयी थी। जिसमे `53,58,248 पर कर `3,21,083 का घोषित किया गया थी। `80,60,500 की बिक्री कर मुक्त की तथा `2,61,79,911 की बिक्री फार्म ई-1 के विरुद्ध किया जाना घोषित किया गया थी। संविदाकार द्वारा `2,81,98,893 की प्रांतीय खरीद एवं `14,95,60,403 की केंद्रीय खरीद घोषित करते हुये संविदाकार द्वारा संगत वर्ष मे `4,46,047 की आई टी सी का दावा भी किया गया था। कर निर्धारण आदेश मे `3,95,98,659 की बिक्री को न ही इंगित किया गया था एवं न ही पत्रावली पर ई-1 फॉर्म उपलब्ध थे। ई-1 फार्म के उपलब्ध न होने पर इसे बिक्री मानते हुए कर `2,61,79,911 x 5 प्रतिशत(कम से कम) = `13,08,996 व्यापारी पर आरोपणीय था।

संविदाकार द्वारा कर निर्धारण आदेश मे ` 40,83,85,124 घोषित किया गया था जबकि फॉर्म -08 के अनुसार `36,24,56,972 का भुगतान प्राप्त हुआ था अतः `4,59,28,152 (`40,83,85,124-`36,24,56,972) के अंतर के क्या कारण थे? फॉर्म -4 के अनुसार आयातित खरीद `14,95,60,403 घोषित की गयी थी जबकि कर निर्धारण आदेश के अनुसार आयातित खरीद `15,44,16,920 की दर्शायी गयी थी, के अंतर के क्या कारण थे? वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक मे हुये अनुबंध से प्राप्त धनराशि का समाधान योजना 7(2) के अंतर्गत कर निर्धारण किया गया जबकि वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 मे हुये अनुबंध से प्राप्त धनराशि को धारा 7(2) के अंतर्गत कर निर्धारण न किए जाने के कारण, फार्म -04 के अनुसार `3,95,98,659 बिक्री को कर निर्धारण आदेश मे दर्शाये न जाने के क्या कारण थे? `2,61,79,911 की sale in transit की गयी, के फार्म ई-1 की प्रति संलग्न नहीं थी एवं कर निर्धारण आदेश मे भी इसका उल्लेख नहीं किया था।

उपरोक्त प्रस्तर के बिन्दु 01, 02 एवं 03 के संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपनी टिप्पणी मे कहा गया कि कुछ बिन्दुओ के संबंध सूचना बाद मे उपलब्ध कराई जाएगी तथा व्यापारी को नोटिस जारी करके राजस्व वसूली की कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

सर्व श्री एन के कंस्ट्रक्सन रानीखेत टिन नं -05000170939 के कर निर्धारण आदेश धारा 7(2) वर्ष 2015-16 मे संविदी विभाग द्वारा कुल ` 2,07,18,952 का भुगतान प्राप्त हुआ था, जिस पर संविदी विभाग द्वारा `7,35,321 का TDS की कटौती की गयी थी। संविदाकार द्वारा संगत वर्ष मे फार्म 16 का प्रयोग करके `1,04,735 की टाईल्स का आयात किया गया था। जो कि कुल संविदा का 5 प्रतिशत कम था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्देश के विपरीत 2 प्रतिशत की दर से समाधान राशि `4,14,379 निर्धारित कर, धनराशि `3,20,942 की वापसी संविदाकार को की गयी थी। जबकि उपरोक्त निर्देश के अनुसार संविदाकार के समाधान राशि 4 प्रतिशत की दर से गणना करने पर `8,28,759 (`2,07,18,952 **x** 4 प्रतिशत) का कर निर्धारित होता था। संविदी विभाग द्वारा काटी गयी धनराशि `7,35,321 को समायोजित करने के पश्चात `93,437 के कर की मांग सृजित होगी। इस प्रकार अधिक वापस की गयी धनराशि `3,20,942 + `93,437 = `4,14,379 का कर संविदाकार से वसूली योग्य था।

उक्त को बिन्दुवार इंगित करने पर विभाग द्वारा बिन्दुवार उत्तर न देकर यह अवगत कराया गया कि व्यापारी को नोटिस जारी करके राजस्व वसूली की कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

अतः ` 2.01 (1.97+0.04) करोड़ की अधिक वापसी एवं कर के अनारोपण का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग दो अ

प्रस्तर-2 अर्थदण्ड का अनारोपण ` 46.23 लाख

केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 10 (ग) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत ब्यौहरी न होते हुये अंतर राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम मे माल का क्रय करते समय यह मिथ्या जाहिर करेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत ब्यौहरी है तो धारा 10-क (1) के अंतर्गत यदि माल का क्रय करने वाला कोई व्यक्ति धारा 10 के खंड (ग) के अधीन किसी अपराध का दोषी हो तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र यथास्थिति, उसे अनुदत्त किया था या उसे अनुदत्त करने के लिए सक्षम हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर उसे देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा शास्ति के रूप कर का डेढ़ गुने तक की धनराशि का अर्थदंड आरोपित कर सकेगा।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-राज्य कर, अल्मोड़ा के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि सर्वश्री अभिलाषा इंटर प्राइजेज़, कर्नाटक खोला अल्मोड़ा टिन नं 05016089706 आदेश कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के आदेश धारा 25(7) के अंतर्गत पारित, संगत वर्ष मे व्यापारी द्वारा कुल `3,25,05,470.96 एवं ` 42,20,187 की फ़िक्स्ड असेट्स की आयातित खरीद की गयी थी। जिसमे रियायती दर पर फार्म- सी के सापेक्ष ` 3,27,80,913 की आयातित खरीद की गयी थी। गोपनीय पत्रावली की जांच मे पाया गया कि संविदाकार द्वारा CST Registration नहीं लिया गया था। उक्त के बावजूद संविदाकार द्वारा Form-C रियायती दर पर `2,85,60,726 की एवं फ़िक्स्ड असेट्स ` 42,20,187 की आयातित खरीद की गयी थी । जिस पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था जिनका विवरण निम्नलिखित है।

क्र0 सं 0	**दर**	**कुल धनराशि**	**कर की धनराशि**	**डेढ़ गुना अर्थदण्ड की धनराशि**
01	5 प्रतिशत	16092431	804622	1206932
02	13.5 प्रतिशत	10944394	1477493	2216240
03	15 प्रतिशत	1523910	228587	342880

04	13.5 प्रतिशत (फ़िक्स्ड असेट्स)	4220187	569725	854588
योग		**32780922**	**3080427**	**4620640**

उक्त को इंगित किए जाने विभाग द्वारा जाँचोपरांत आवश्यक कार्यवाही करके लेखापरीक्षा को अवगत कराये जाने का आश्वाशन दिया गया।

भाग-दो ब

प्रस्तर-1 रियायती दर पर बिक्री से संबन्धित फॉर्म-सी की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति 22.73 लाख

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के धारा 8(4) उपधारा (1) के उपबन्ध अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किसी बिक्री पर तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक कि माल का विक्रय करने वाला ब्यौहारी उस रजिस्ट्रीकृत ब्यौहारी द्वारा, जिसे माल बेचा गया है, विहित प्राधिकारी से अभिप्राप्त विहित प्रारूप में सम्यक् रूप से भरी हुई और हस्ताक्षरित-घोषणा, जिसमें विहित विवरण अन्तर्विष्ट हो, विहित प्राधिकारी को विहित रीति से न दे दे ।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि)-राज्य कर अल्मोड़ा के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि सर्व श्री अल्मोड़ा मैग्नेसाइड लि0 अल्मोड़ा टिन नं -05000005942 कर निर्धारण आदेश धारा 25(7) कर निर्धारण वर्ष 2013-14 मे व्यापारी द्वारा कुल खरीद ` 11,17,48,118 की एवं कुल बिक्री `22,78,62,389 घोषित की गयी। जिसमे केंद्रीय बिक्री `19,09,87,055 की घोषित की गयी। उक्त बिक्री मे `52,800 की बिक्री करमुक्त फार्म–एच के विरुद्ध, ` 3,925 की बिक्री 13.5 प्रतिशत की दर से एवं `19,09,30,330 की बिक्री फॉर्म-सी के विरुद्ध 2 प्रतिशत की दर से किया गया है।

फॉर्म सी की बिक्री `19,09,30,330 के सापेक्ष व्यापारी द्वारा दाखिल सूची के अनुसार 89 फॉर्म सी धनराशि ` 17,11,66,943 के प्रस्तुत किए गए थे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने कर निर्धारण आदेश मे 63 फार्म –सी ` 21,85,23,952 की केंद्रीय बिक्री करना दर्शाया गया है। व्यापारी द्वारा कुल `17,11,66,943 के ही फार्म-सी की सूची उपलब्ध कराई गयी थी। जिसका कर निर्धारण आदेश मे उल्लेख नहीं किया गया था एवं इस प्रकार ` 1,97,63,387 के फार्म- सी के बिना 2 प्रतिशत की दर कर निर्धारण किया गया था। जिस पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। इस प्रकार अंतरीय कर `22,72,790 (`1,97,63,387 **x** 11.5 प्रतिशत) व्यापारी पर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरांत कार्यवाही करके लेखापरीक्षा को अवगत करने का आश्वाशन दिया गया।

भाग दो ब

प्रस्तर-2 अनियमित वापसी ` 102.18 लाख एवं कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ` 2.13 लाख

उत्तखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा 5 के अनुसार उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति, भुगतान या निर्वहन करते समय उस व्यक्ति को, जिसके बिल या बीजक से ऐसी कटौती की जाय, एक प्रमाणपत्र, ऐसे प्रपत्र मे और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाय, देगा।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-21 (6) (क) के अनुसार प्रत्येक टीडैन/टिन धारक ब्योहारी अथवा व्यक्ति, जो धारा 35 के प्रविधानों के अनुसार श्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार है, उस ब्योहारी अथवा व्यक्ति, जिससे कर की कटौती की गयी है, को प्रारूप 8 (संशोधित) मे वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए कर कटौती की गयी धनराशि के संबंध मे प्रमाण पत्र जारी करेगा। (ख)यह प्रारूप दो प्रतिओ मे एक कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा श्रोत पर कर कटौती करने के लिए दायी ब्योहारी अथवा व्यक्ति को जारी किया जाएगा। ऐसा ब्योहारी अथवा व्यक्ति उस ब्योहारी अथवा व्यक्ति जिससे कर की कटौती की गयी है, को मूल प्रति जारी करेगा। (ग)ऐसे प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्राप्त होने पर कर निर्धारक प्राधिकारी उस धनराशि को उस ब्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा जमा किया समझेगा जिसके पक्ष मे प्रमाण पत्र जारी किया गया है बशर्ते कि प्रमाण पत्र पूर्ण है और ब्योहारी अथवा व्यक्ति का टी डैन एवं ब्योहारी अथवा व्यक्ति जिससे कि कटौती की गही है, का टिन स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-राज्य कर, अल्मोड़ा के अभिलेखो कि जांच मे पाया गया कि सर्वश्री अभिलाषा इंटर प्राइजेज़, कर्नाटक खोला अल्मोड़ा टिन नं 05016089706 आदेश कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के आदेश धारा 25(7) के अंतर्गत पारित, संगत वर्ष के करनिर्धारण आदेश के अनुसार सिविल संविदा कार्य मे कुल भुगतान `10,92,80,236 प्राप्त होना दर्शाया गया था। संगत वर्ष मे कुल खरीद `1,51,78,259 की आयातित एवं `

8,75,92,887 की प्रांतीय खरीद घोषित की गयी थी। आयातित खरीद मे ` 39,84,901 की एसेट्स हेतु मशीनरी आदि की खरीद घोषित की गयी थी। इस प्रकार कुल ` 8,75,92,887 + `1,11,93,358 = `9,87,86,245 की खरीद घोषित की गयी थी। जिसमे `3,12,17,223 का माल वर्ष के अंत मे स्टाक मे अवशेष रहना दर्शाते हुए `6,75,69,022 का माल का अंतरण सविदा कार्य मे करते हुये उक्त धनराशि की छूट चाहिए गयी एवं लेबर मद मे 40 प्रतिशत की छूट चाही गयी। उपरोक्त नियम के अनुसार संविदी विभाग द्वारा दी गयी FORM -8 की मूल प्रति पत्रवाली पर संलग्न नहीं थी। संविदाकार द्वारा TDS की धनराशि `27,65,940 की कटौती किया जाना फार्म-IV (बी) मे दर्शाया गया था एवं उक्त के संबंध मे चालान संख्या 71 दिनांक 16.05.2016 धनराशि `27,65,940 संलग्न किया गया था। जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर, यू पी राजकीय निर्माण निगम, अल्मोड़ा यूनिट द्वारा जमा कराया गया था। इससे संगत वर्ष मे संविदी विभाग द्वारा कुल कितना भुगतान किया गया है यह स्पष्ट नहीं था। उक्त के बाद भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संविदाकार द्वारा घोषित आकड़ों को स्वीकार करते हुए नियम-14 के अंतर्गत कर निर्धारण किया गया था एवं `2,37,609 कर निर्धारित करते हुये धनराशि `25,28,331 वापसी की गयी थी।

वर्ष 2015-16 की बैलेन्स शीट की जांच मे पाया गया कि `9,72,04,061 की खरीद दर्शाया गया है। इस प्रकार `15,82,184 (`9,87,86,245 – `9,72,04,061) का अंतर है। इस धनराशि पर 13.5 प्रतिशत से `2,13,594 का कर संविदाकार पर आरोपणीय है।

2- आदेश कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के आदेश धारा 25(7) के अंतर्गत पारित संगत वर्ष की कर निर्धारण आदेश के अनुसार सिविल संविदा कार्य मे कुल प्राप्त भुगतान `22,53,38,589 प्राप्त होना दर्शाया गया था। संगत वर्ष मे कुल खरीद `3,25,05,470.96 की आयातित एवं `6,69,49,649 की प्रांतीय खरीद घोषित की गयी थी। आयातित खरीद मे `42,44,745 की एसेट्स हेतु मशीनरी आदि की खरीद घोषित कई गयी थी। इस प्रकार कुल `3,12,17,223(प्रा0अ0)+ `2,85,60,725(आयातित खरीद) + `6,69,49,649(प्रांतीय खरीद) = `9,55,10,375 की खरीद घोषित की गयी जिसमे `2,75,40,600 का माल वर्ष के अंत मे स्टाक मे अवशेष रहना दर्शाते हुए `9,91,86,998 का माल का अंतरण सविदा कार्य मे करते हुये उक्त धनराशि की छूट चाहिए गयी थी एवं लेबर मद मे 40 प्रतिशत की छूट `8,44,02,731 चाही गयी थी । आगे जांच मे पाया गया कि उपरोक्त नियम के अनुसार संविदी विभाग द्वारा दी गयी FORM -8 की मूल प्रति पत्रवाली पर संलग्न नहीं है। संविदाकार द्वारा TDS की धनराशि `1,16,87,587 की कटौती किया जाना फार्म-IV (बी) मे दर्शाया गया है। उक्त के संबंध मे निम्नलिखित चालान संलग्न किए गए है।

क्र0 सं 0	चालान संख्या	दिनांक	धनराशि (` **मे)**
01	65	03.10.2016	1200000
02	68	23.11.2016	4298069
03	81	25.11.2016	5400000
04	82	25.12.2016	789518
योग			**11687587**

उपरोक्त प्रोजेक्ट मैनेजर यू पी राजकीय निर्माण निगम अल्मोड़ा यूनिट द्वारा जमा कराया गया था इससे संगत वर्ष मे संविदी विभाग द्वारा कुल कितना भुगतान किया गया था यह स्पष्ट नहीं था । उक्त के बाद भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संविदाकार द्वारा घोषित आकड़ों को स्वीकार करते हुए नियम-14 के अंतर्गत कर निर्धारण किया

गया है। जिसमे `39,97,436 का कर निर्धारित करते हुए `76,90,151 की वापसी की गयी है। वर्ष 2016-17 की बैलेन्स शीट की जांच मे पाया गया कि `10,06,50,962.42 की खरीद दर्शाया गया थी जबकि संविदाकार द्वारा `9,55,10,374 घोषित किया गया था। इस प्रकार `51,40,588 (`10,06,50,962.42 – `9,55,10,374) का अंतर था।

उक्त को बिन्दुवार इंगित करने पर विभाग द्वारा बिन्दुवार उत्तर न देकर यह अवगत कराया गया कि व्यापारी को नोटिस जारी करके राजस्व वसूली की कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो ब

प्रस्तर 3- कर एवं अर्थदण्ड का अनरोपण ` 1.15 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा तथा अधिनियम की धारा 58(1)(xiv) के अनुसार मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा है या प्रस्तुत किया है वो कर की उस धनराशि का कम से कम 50% किन्तु 200% से अनधिक जो तद द्वारा परिवर्णित हो जाती, अर्थदण्ड का भागी होगा ।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि)-राज्य कर अल्मोड़ा के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि M/s जय गोलू दर्शन इंटरप्राइजेज़ टिन नं -05010150590 स्वतः कर निर्धारण वर्ष 2014-15 मे प्रा0 अवशेष `33,55,212 एवं

कुल खरीद प्रांतीय ` 5,10,13,022 की घोषित करते हुये ` 25,55,323 की आई टी सी का दावा किया गया था। संगत वर्ष मे कुल बिक्री ` 5,05,00,019 की घोषित करते हुये ` 25,40,795 कर स्वीकार किया गया था ।

उपरोक्त के अनुसार व्यापारी का व्यापारिक स्थिति निम्नानुसार होगी।

कर की दर	प्रा0 अवशेष	खरीद	योग	बिक्रय	अंतिम अवशेष	यदि लाभ न भी जोड़ा जाए तो कम से कम बिक्री होनी चाहिए	बिक्री जिसे दर्शाई नहीं गयी है
01	02	03	04	05	06	04-06=05	
13.5 प्रतिशत	30,839	1,27,643	1,58,482	1,82,823	0	5,20,31,335	15,34,226
5 प्रतिशत	33,24,373	5,07,61,821	5,40,86,194	5,03,14,196	22,13,341		
कर मुक्त	0	1,23,558	1,23,558	0	1,23,558		
योग	33,55,212	5,10,13,022	5,43,68,234	5,04,97,019	23,36,899		

उपरोक्त विवरण के अनुसार ` 15,34,226 की बिक्री व्यापारी द्वारा घोषित नहीं की गयी थी जिस पर 5 प्रतिशत की दर कर ` 76,711 आरोपणीय था। इस अर्थदण्ड `38,356 भी आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था। आगे जांच मे पाया गया कि व्यापारी के ट्रेडिंग खाता 31/03/2015 के अनुसार Target Scheme Received ` 21,35,201 की दर्शाई गयी है जिस पर न तो कर का आरोपण किया गया था, न ही ` 1,06,760 **(5** प्रतिशत की दर से) आई टी सी रिवर्स की गयी थी।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही करके अवगत करने का आश्वाशन दिया गया।

<u>भाग- 2 'ब'</u>

प्रस्तर-4 अनारोपित कर अधिक वापसी से राजस्व क्षति `0.21 लाख

वित्त अनुभाग-8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या-330/2012/14/(120) XXVII(8)06 दिनांक 17 अप्रैल, 2012 के अनुसार सिविल एवं विद्युत संविदाकार के लिये समाधान योजना (4) (क) के अनुसार जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक माल के आयात का प्रयोग किया हो, आगणित धनराशि के 4 प्रतिशत होगी ।

प्रस्तर (4) (ख)- जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया हो जिसमें उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि 6 प्रतिशत निर्धारित की जायेगी ।

वित्त अनुभाग-8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या-627/2012/14/XXVII(8)/06 दिनांक 03 जुलाई, 2012 के अनुसार सिविल एवं विद्युत संविदाकार जो संविदा की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयात करेंगे उन पर 4 प्रतिशत के समतुल्य समाधान राशि की करदेयता बनती है तथा 5 प्रतिशत तक आयात करने वाले से अभिप्राय 0 से 5 प्रतिशत तक है, अतः आयात न करने वाले संविदाकार भी इस श्रेणी में माने जायेंगे ।

उप आयुक्त (क0नि0) राज्य कर विभाग, अल्मोड़ा माह 04/2017 से 03/2018 तक के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सर्वश्री लालसिंह, सिविल संविदाकार, टिन 05000145913 विभाग में पंजीकृत है । ब्यौहारी की कर निर्धारण वर्ष 2014-15 की पत्रावली के अनुसार कर निर्धारण निम्नवत् किया गयाः-

कुल भुगतान (`)	**प्राप्त शुद्ध भुगतान (`)**	**दर (%)**	**निर्धारित कर (`)**	**कुल कटौती (`)**
3,51,01,192	12,34,450	4	49,378	20,90,082
	3,37,41,716	2	6,74,834	
	1,25,026	1	1,250	
योग	**3,51,01,192**		**7,25,012**	

किन्तु पत्रावली पर संलग्न प्रपत्र-8 (UK-VAT/2007, 152779) की जाँच में वर्ष 2012-13 से निम्नलिखित भुगतानों पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता बनती है जिस पर करारोपण नहीं किया गया-

संविदा की संख्या व तारीख	**संविदा की कुल धनराशि (`)**	**संविदा वर्ष में भुगतान (`)**
5/PM/12-13 24.01.13	11,74,639	
5/PM/12-13 01.10.12	35,89,950	10,78,566
योग	**2,32,64,008**	**23,13,015**

कर निर्धारण आदेश में दो प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की गयी थी, अतः अन्तरीय दो प्रतिशत (4-2) की दर से ` 21,571.32 (` 10,785.66 x 2) कर (समाधान राशि) अनारोपित रह गया । प्रकरण में वाउचर सं0 80051 दिनांक 22.09.17 द्वारा ` 13,65,070 की वापसी की जा चुकी थी । इस प्रकार, देय कर ` 7,46,583 (` 7,25,012 + ` 21,571) आरोपित होना था तथा वापसी ` 13,43,499 (` 13,65,070 - ` 21,571) होना था । फलतः ` 21,571 अधिक वापस हो गया ।

सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यौहारी को नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । अतः अधिक वापसी का प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है ।

भाग- 2 'ब'

प्रस्तर-5 स्रोत पर कर कटौती (टी0डी0एस0) की धनराशि विलम्ब से जमा करने के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड ` 1.37 लाख एवं ब्याज ` 0.21 लाख का अनारोपण ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35(4) के अनुसार, टी0डी0एस0 की धनराशि कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा उस माह, जिसमें कटौती की जाय, के आगामी माह की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा करेगा ।

अधिनियम की धारा 35(8) के अनुसार, कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उपधारा (4) की अपेक्षानुसार जमा करने में असफल रहता है, तो करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गई और यदि काटी गयी तो इस प्रकार सरकारी कोषागार में जमा न की गयी, धनराशि के दुगुने से अनधिक का भुगतान करेगा।

अधिनियम की धारा 35(9) के अनुसार, उपधारा (8) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गई धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो वह इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गयी और यदि काटी गयी तो इस प्रकार जमा न की गयी, धनराशि पर उस तारीख से जब ऐसी धनराशि कटौती योग्य थी, से उस तारीख तक जब ऐसी धनराशि वास्तव में जमा की गयी, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का देनदार होगा ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण), वाणिज्य कर, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री त्रिनयन होम प्रा0 लि0, मजखाली, रानीखेत, अल्मोड़ा (टिन नं0 05011616357) जो ठेकेदारों से कटौती करने के पश्चात् कर जमा करता है, के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के दौरान **<u>“संलग्नक-क”</u>** में उल्लिखित विवरणानुसार संविदाकार को भुगतान करते समय वर्ष 2013-14 के समस्त त्रैमासों में कुल टी0डी0एस0 धनराशि ` 68,720 को e-Payment द्वारा HDFC बैंक में विलम्ब से दिनांक 26.12.2016 को जमा किया गया था ।

अतः उपरोक्त अधिनियम की धारा 35(8) के अनुसार, टी0डी0एस0 विलम्ब से जमा करने के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड ` 1,37,440 (अर्थात् ` 68,720 x 2) आरोपणीय है । साथ ही अधिनियम की धारा 35(9) के अनुसार, ब्याज ` 20,502 भी देय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि व्यापारी को नोटिस जारी करके राजस्व वसूली की कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

"संलग्नक-क"

व्यापारी का नामः- सर्वश्री त्रिनयन होम प्रा0 लि0, मजखाली, रानीखेत, अल्मोड़ा (टिन नं0 05011616357)

क्रम सं0	**कर निर्धारण वर्ष/त्रैमास**	**टी0 डी0 एस0 की धनराशि (`)**	**जमा करने की निर्धारित तिथि**	**जमा करने की वास्तविक तिथि**	**विलम्ब**	**देय ब्याज (`)**	**आरोपणीय अर्थदण्ड (`)**
1.	2013-14 (प्रथम त्रैमास)	12,000	31.07.2013	26.12.2016	28 माह 26 दिन	(` 12,000 x 15/100 x 28/12) + (` 12,000 x 15/100 x 26/365) = ` 4,200 + ` 128 = **` 4,328**	` 12,000 x 2 = **` 24,000**
2.	2013-14 (द्वितीय त्रैमास)	20,720	31.10.2013	26.12.2016	25 माह 26 दिन	(` 20,720 x 15/100 x 25/12) + (` 20,720 x 15/100 x 26/365) = ` 6,475 + ` 221 = **` 6,695**	` 20,720 x 2 = **` 41,440**
3.	2013-14 (तृतीय त्रैमास)	14,500	31.01.2014	26.12.2016	22 माह 26 दिन	(` 14,500 x 15/100 x 22/12) + (` 14,500 x 15/100 x 26/365) = ` 3,987 + ` 155 = **` 4,1,42**	` 14,500 x 2 = **` 29,000**
4.	2013-14 (चतुर्थ त्रैमास)	21,500	31.04.2014	26.12.2016	19 माह 26 दिन	(` 21,500 x 15/100 x 19/12) + (` 21,500 x 15/100 x 26/365) = ` 5,106 + ` 230 = **` 5,336**	` 21,500 x 2 = **` 43,000**
					योग	**20,502**	**1,37,440**

STAN

प्रस्तर-1 ब्याज की वसूली न होना ` 9,073 ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 (4) में प्रावधान है कि स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा । ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 1.25 प्रतिशत मासिक अर्थात् 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण), वाणिज्य कर, अल्मोड़ा के अभिलेख R-3 Register (बकाया पंजिका) की जांच में पंजिका के भाग-2 (धनराशि जो वसूल हुई) विवरण के क्रम सं0 8 में पृष्ठ 14 के क्रम सं0 10 द्वारा ब्यौहारी प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर, कर निर्धारण वर्ष 2011-12 आदेश दिनांक 25.02.2015 द्वारा धनराशि ` 13,442 चालान सं0 10/30.04.2016 के माध्यम से जमा किया गया । किन्तु ब्याज की वसूली नहीं हुई ।

अतः धनराशि ` 13,442 पर माह 10/2011 से 04/2016 तक (54 माह) का 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज ` 9,073 देय है, जिसे वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
RS/CT-103/2017-18	शून्य	प्रस्तर- (1) (01)	प्रस्तर- (1) (01)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **उपायुक्त (कर निर्धारण), वाणिज्य कर, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1	श्री निशिकान्त सिंह	डिप्टी कमिश्नर	(2.9.15 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **उपायुक्त (कर निर्धारण), वाणिज्य कर, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र